संख्या-226/2026/1847/22-2-2024-17(726)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2026*

विषय:- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री दीप शर्मा, निवासी जनपद-रामपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री दीप शर्मा, मौ0 आदर्श कालोनी, थाना-सिविल लाईन, जनपद-रामपुर का निवासी है। शाकिर का पुष्पा की लड़की से अवैध संबन्ध हो गये थे दोनों की शादी नहीं होने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, इसी कारण पुष्पा ने दिनांक 24.12.2014 को 01 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारकर शाकिर की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-191/2015 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201, 404 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, (महिला विरूद्ध अपराध), रामपुर के दण्डादेश दिनांक 09.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 27.05.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष 04 माह 28 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष 09 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी की 54 वर्ष की आयु एवं महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 27.05.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष 04 माह 28 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष 09 माह 01 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती पुष्पा शर्मा (बन्दी संख्या-251/2019) पुत्र पत्नी श्री दीप शर्मा, निवासी जनपद-रामपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-226/2026/1847(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in